



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1372, वर्ष 2026

सहदेव@सहदेव पासी

.....आवेदक(गण)

बनाम

यू.पी. राज्य प्रमुख सचिव गृह सिविल सचिवालय लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सचिन वर्मा, प्रवीण कुमार

पाण्डेय

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए., इंद्र प्रताप सिंह

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत दायर इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक—जो पुलिस थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली में दर्ज आपराधिक वाद संख्या 389 वर्ष 2025 धारा 103(2) (नई जोड़ी गई धारा) और धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता (पुरानी धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता) के तहत, में आरोपी है—विचारण के समय जमानत पर रिहाई की माँग कर रहा है।

3. प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.10.2025 को मुखबिर द्वारा दो नामजद अभियुक्तों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(2) और 3(5) के अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है (प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं है); जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उसका बेटा रेलवे लाइन के पास मृत पाया गया था, और मुखबिर को यह पता चला है कि किसी शक के चलते, नामजद अभियुक्तों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मुखबिर के बेटे की पिटाई की, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं है। उसका नाम मुखबिर के उस बाद के बयान में सामने आया है, जो काफी विलंब से दर्ज किया गया था।

5. इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि एक अन्य सह-आरोपी, जिसका नाम सुरेश कुमार मौर्य है और जिसका नाम प्राथमिकी में भी नहीं है, ने आपराधिक अपील संख्या 115 वर्ष 2026 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था; ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि विशेष न्यायाधीश, एस.सी. /एस.टी. अधिनियम, रायबरेली द्वारा उसकी जमानत याचिका अस्वीकृत कर दी गई थी। इस न्यायालय ने दिनांक 26.02.2026 को एक आदेश पारित करके उसे जमानत प्रदान कर दी थी। बहस के समय जमानत आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है। सह-आरोपी सुरेश कुमार मौर्य के विरुद्ध जो साक्ष्य/सामग्री उपलब्ध है, वह बिल्कुल वैसी ही है जिसके आधार पर वर्तमान प्रकरण में आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। अतः आवेदक उस जमानत का लाभ पाने का अधिकारी है, जो सह-आरोपी सुरेश कुमार मौर्य को समानता के सिद्धांत के आधार पर प्रदान की गई है। आपराधिक अपील संख्या 115 वर्ष 2026 में पारित वह आदेश, जिसके द्वारा सह-आरोपी सुरेश कुमार मौर्य को जमानत प्रदान की गई थी, नीचे उद्धृत किया गया है :-

“(आपराधिक विविध आवेदन संख्या 1 वर्ष 2026)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं, तथा अभिलेख का भी अवलोकन किया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के तहत यह वर्तमान आपराधिक अपील, रायबरेली के माननीय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी अधिनियम) द्वारा दिनांक 03.01.2026 को पारित उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो जमानत आवेदन संख्या 3638 वर्ष 2025 से संबंधित है। यह वाद आपराधिक वाद संख्या 0389 वर्ष 2025 से उत्पन्न हुआ है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(2) और 3(5), तथा एस.सी./एस.टी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत, पुलिस थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली में आरोप लगाए गए हैं; इस आदेश के द्वारा निचली अदालत ने आवेदक सुरेश कुमार मौर्य के जमानत आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी है कि गाँव की राजनीति और "पार्टी-बंदी" के कारण अपीलकर्ता को इस वाद में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 25.09.2024 को दर्ज की गई प्राथमिकी में अपीलकर्ता का नाम नहीं था; अपितु, जाँच के समय काफी बाद में, शिकायतकर्ता के एक पूरक बयान के ज़रिए उसका नाम सामने आया, जिसे काफी देरी से दर्ज किया गया था। उन्होंने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आगे कहा कि मृतक हरिओम की मौत से अपीलकर्ता को जोड़ने वाला कोई सीधा साक्ष्य या चश्मदीद गवाह का बयान नहीं है; हरिओम का शव एक रेलवे लाइन के पास मिला था। उन्होंने आगे कहा कि कथित तौर पर मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ था और किसी को बताए बिना घर से चला गया था, जिससे यह पता चलता है कि मौत के हालात बेहद संदिग्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता के कब्जे से या उसकी निशानदेही पर कोई भी आपत्तिजनक चीज़ या हथियार बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता 30.06.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) और एस.सी./एस.टी. अधिनियम के तहत लगाए गए आरोप पहली नज़र में टिकने योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपीलकर्ता का कथित अपराध करने का कोई साझा इरादा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अगर अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा या साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा, और वह वाद में पूरी तरह सहयोग करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता विधि का पालन करने वाला नागरिक है और अदालत की संतुष्टि के अनुसार ज़मानत बंध पत्र जमा करने के लिए तैयार है।

उपर्युक्त कारणों से, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है, विशेष न्यायाधीश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(एस.सी./एस.टी. अधिनियम), रायबरेली द्वारा दिनांक 03.01.2026 को पारित आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है, और परिणामस्वरूप,

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है कि आवेदक पर एक जघन्य अपराध का आरोप है, जिसमें मृतक की मृत्यु सम्मिलित है। तथापि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य से मना नहीं कर सके कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं था और न ही उसके कब्जे से कोई दोषसिद्ध करने वाली सामग्री बरामद हुई है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 4 अक्टूबर, 2025 से लगातार हिरासत में है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि अभियोजन पक्ष का वाद उन बयानों पर आधारित है जो प्राथमिकी के बाद सामने आए, और आवेदक का यह बचाव कि उसे गाँव-स्तर की 'गुटबाजी' के कारण झूठा फँसाया गया है, अभी भी विचारण का विषय बना हुआ है। वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि निचली अदालत अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का उचित रूप से मूल्यांकन करने में विफल रही; अतः, विवादित आदेश को रद्द किया जाना उचित है और अपील स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। परिणामस्वरूप, विशेष न्यायाधीश (एस.सी. /एस.टी. अधिनियम), रायबरेली द्वारा दिनांक 03.01.2026 को पारित आदेश एतद्वारा रद्द किया जाता है।

अपीलकर्ता, सुरेश कुमार मौर्य को, आपराधिक वाद संख्या 0389 वर्ष 2025 (भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) और 3(5) तथा एस.सी. /एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत, पुलिस थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली) में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन, जमानत पर रिहा किया जाए :

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) अपीलकर्ता वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा।

(vi) अपीलकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तारीख पर उपस्थित रहेगा।

(vii) जब साक्ष्य उपस्थित हों, तब अपीलकर्ता सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा।

(viii) यदि आवश्यक हो, तो अपीलकर्ता धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए स्वयं उपस्थित रहेगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।”

6. इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 04.10.2025 से जेल में है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और मुखबिर के अधिवक्ता ने ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों और इस न्यायालय द्वारा सह-आरोपी सुरेश कुमार मौर्य को दी गई ज़मानत के साथ आवेदक द्वारा किए गए समानता के दावे का खण्डन करने में असमर्थ रहे।

8. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, सह-अभियुक्त सुरेश कुमार मौर्य को दी गई ज़मानत की समानता आवेदक के पक्ष में भी लागू होती है; क्योंकि सुरेश कुमार मौर्य के विरुद्ध भी वही साक्ष्य और सामग्री उपस्थित है, जिसके आधार पर उन्हें अभियुक्त बनाया गया है।

9. प्रथम दृष्टया, यह पाया जाता है कि यह आवेदक को ज़मानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त वाद है। तदनुसार, प्रस्तुत ज़मानत याचिका स्वीकार की जाती है।

10. आवेदक - सहदेव @ सहदेव पासी को, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए :-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक विचारण के समय अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के समय साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष हर तय तारीख पर, या तो खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vii) आवेदक साक्ष्यों के लिए तय तारीखों पर, जब साक्षी अदालत में उपस्थित हों, सुनवाई टालने की माँग नहीं करेगा।

(viii) आवेदक, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तय तारीखों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

11. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

12. चूँकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

31 मार्च, 2026

नितेश

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।